

दीवानी कानूनी सहायता—आपको कितना भुगतान करना पड़ सकता है

आपका सॉलिसिटर आपके लिए काम करना शुरू करे, इससे पहले आपके लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपको उसे कितना भुगतान करना पड़ सकता है। यह पुस्तिका इसके और विशेष रूप से, संपत्ति जीतने या बचाने और 'क्लाबैक' से हमारा क्या आशय है, इसका खुलासा करती है। आपको अपने सॉलिसिटर से पूछना चाहिए कि इस पुस्तिका में उठाये गये मुद्दों में से कोई मुद्दा आपके मुकदमे को किस तरह प्रभावित कर सकता है।

हमसे संपर्क करें

क्या आप:

- अपने नजदीकी कानूनी सहायता सॉलिसिटर को ढूँढना चाहते हैं
- कानूनी सहायता के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं
- हमारी पुस्तिकाएं मंगाना चाहते हैं?

तो हमारी कानूनी सहायता हेल्पलाइन [Legal Aid Helpline] को 0845 122 8686 पर (सप्ताह में सातों दिन सुबह 7 से रात 11 बजे तक) कॉल करें, या हमारी वेबसाइट www.slab.org.uk पर जाएं। हमारी वेबसाइट में हमारे सेवा मानकों के ब्योरे भी शामिल हैं।

हम सीधे कानूनी सलाह प्रदान नहीं करते, यह कार्य सॉलिसिटर करते — हम कानूनी सहायता प्रणाली का प्रबंधन करते हैं।

हमारा पता है: 44 Drumsheugh Gardens Edinburgh EH3 7SW.

हमारा सामान्य टेलीफोन नंबर 0131 226 7061 है। BT टेक्स्ट डायरेक्ट द्वारा की जाने वाली कॉलों का स्वागत है।

हमारा ईमेल पता general@slab.org.uk है।

अन्य उपयोगी संपर्क

स्कॉटलैंड की लॉ सोसाइटी [Law Society of Scotland], 26 Drumsheugh Gardens, Edinburgh EH3 7YR

टेलीफोन : 0845 113 0018

वेबसाइट : www.lawscot.org.uk

अपने स्थानीय सिटीजन्स एडवाइस ब्यूरो [Citizens Advice Bureau] की तलाश करने के लिए, कृपया येलो पेजेस में देखें या सिटीजन्स एडवाइस स्कॉटलैंड [Citizens Advice Scotland] की वेबसाइट, www.cas.org.uk पर जाएं।

हमारी पुस्तिकाएं

- दीवानी कानूनी सहायता की निर्देशिका
- दीवानी कानूनी सहायता — आवेदकों के लिए जानकारी
- दीवानी कानूनी सहायता — आपको कितना भुगतान करना पड़ सकता है
- दीवानी कानूनी सहायता के मुकदमों में प्रतिवादियों के लिए दिशा—निर्देश
- बच्चों के लिए कानूनी सहायता
- क्या मैं सलाह और सहायता पाने की योग्यता रखता हूँ — आपराधिक या बच्चों के मामलों में?
- आपराधिक कानूनी सहायता यदि आप हिरासत में हैं
- आपराधिक कानूनी सहायता यदि आप हिरासत में नहीं हैं
- स्कॉटिश कानूनी सहायता परिषद के बारे में शिकायतें एवं टिप्पणियां

- जानकारी तक पहुंच

विषय सूची

1. क्या दीवानी कानूनी सहायता निःशुल्क है?
2. प्रतिवादी द्वारा चुकाया गया अदालती खर्च
3. अंशदान
4. जीती हुई या बचायी हुई संपत्ति
5. अगर मेरा सॉलिसिटर व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए काम करने का सुझाव दे तो?
6. क्या मुझे यह कहने का अधिकार है कि आप मेरे सॉलिसिटर को कितना भुगतान करें?
7. किसी प्रतिवादी के खर्चों का भुगतान करना
8. मैं आपको जो जानकारी प्रदान करूंगा उसका प्रयोग आप कैसे करेंगे?
9. यदि मैं आपके या अपने सॉलिसिटर के काम करने के ढंग से नाखुश होऊं तो क्या होगा?
10. उदाहरण

आपको दो तरह की कानूनी सहायता मिल सकती हैं: 'सलाह और सहायता' और दीवानी कानूनी सहायता। दोनों को मिलाकर 'दीवानी कानूनी सहायता' कहा जाता है।

- पहली चीज है **सलाह और सहायता**। यह स्काटलैंड के कानून से, दीवानी या फौजदारी संबंधित किसी मामले में सॉलिसिटर की सलाह के लिए भुगतान में मदद करता है। मसलन्, अदालत गये बिना आपकी तरफ से किसी मामले को सुलझाना। बहरहाल, कुछ अपवादों को छोड़कर इसमें 'प्रतिनिधित्व', यानी आपके मामले को अदालत में पेश करना शामिल नहीं होगा।

- दूसरी चीज है **दीवानी कानूनी सहायता**। (चूंकि इस पुस्तिका का संबंध सिर्फ दीवानी कानूनी सहायता से है, इसलिए जहां हम 'कानूनी सहायता' की बात करते हैं वहां हमारा आशय दीवानी कानूनी सहायता से ही होता है)। यह अदालत में आपके मुकदमे की पैरवी के लिए आपके सॉलिसिटर को भुगतान करती है। इसमें आपका दावा तैयार करना और अदालती सुनवाई शामिल होती है, और सॉलिसिटर्स और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों के भुगतान के लिए धन भी उपलब्ध कराया जा सकता है।

कुछ लोगों को सलाह और सहायता की जरूरत होती है और कुछ को महज कानूनी सहायता चाहिए होती है। बहुत-से लोग सलाह और सहायता से शुरू करते हैं और फिर कानूनी सहायता पर आ जाते हैं।

1 क्या दीवानी कानूनी सहायता निःशुल्क है?

हमेशा नहीं : आपको अपने मुकदमे के अदालती खर्च के मद में कुछ भुगतान करना पड़ सकता है। मुख्य रूप से तीन स्थितियों में आपको भुगतान करना पड़ सकता है:

- अगर आपकी आय – और कानूनी सहायता के लिए आपकी बचत – एक निश्चित सीमा से अधिक है – इस पुस्तिका के खंड-3 में इसका अपेक्षाकृत विस्तार से वर्णन किया गया है, और अपने मुकदमे के संबंध में पहली बार अपने सॉलिसिटर से संपर्क करने पर वह भी इसका खुलासा कर सकता है। हमारा पर्चा, *दीवानी कानूनी सहायता निर्देशिका [A guide to civil legal aid]* भी आपको ज्यादा जानकारी देता है।
- अगर आप अपने सॉलिसिटर की पैरवी से धन या संपत्ति जीतते या बचा लेते हैं तो आपके मुकदमे का अदालती खर्च अदा करने के लिए उसका इस्तेमाल 'क्लाबैक' कहा जाता है। अपने सॉलिसिटर से यह पूछना महत्वपूर्ण होता है कि क्या आपके मामले में क्लैबैक लागू होगा और लागू होगा तो आपके लिए उसका आशय क्या होगा।
- अगर आप मुकदमा हार जाते हैं और अदालत आपको आपके प्रतिवादी का सारा अदालती खर्च या उसके कुछ हिस्से के भुगतान का आदेश देती है तो कानूनी सहायता सिर्फ आपके अदालती खर्च का भुगतान करेगी। लेकिन आप अदालत से रकम को कम करने के लिए कह सकते हैं क्योंकि आप कानूनी सहायता पर हैं।

1.1 मेरे सॉलिसिटर का बिल का भुगतान कैसे किया जाता है?

आपके सॉलिसिटर के बिल का भुगतान हम करेंगे। बहरहाल, हम आपके मुकदमे का भुगतान करने के लिए सार्वजनिक कोष का उपयोग करते हैं, इसलिए जहां संभव हो, इसे लौटाना पड़ता है। इससे कानूनी सहायता लेने वाला उसी स्थिति में आ जाता है, जैसे कोई व्यक्तिगत स्तर पर उसकी कानूनी सहायता के लिए भुगतान करें।

सलाह और सहायता

आपकी सलाह और सहायता के खर्चों का भुगतान किया जाता है:

- पहला, आप अपने सॉलिसिटर को जो अंशदान देने वाले हैं, उससे।
- दूसरा, बातचीत से हुए समझौते के अंग के रूप में या अदालत के आदेश के मुताबिक आपका प्रतिवादी जो भी अदालती खर्च अदा करता है, उससे।
- तीसरा, अगर पहले दो विकल्प पर्याप्त नहीं हैं, तो आपको दी गयी सलाह और सहायता से आप जो संपत्ति जीतते या बचाते हैं, उस संपत्ति के अंश या पूरी संपत्ति (क्लाबैक) से। अगर भुगतान से आप भारी मुश्किल या संकट में पड़ जाते हैं तो आपको यह नहीं भी करना पड़ सकता।
- अंतिम, अगर पहले तीनों मद पूरे नहीं पड़ते, तो हमारे कोष से।

यदि आपको सलाह और सहायता के लिए कोई भुगतान करना है, तो यह सीधे अपने सॉलिसिटर को करें।

कानूनी सहायता :

आपकी कानूनी सहायता के खर्च उठाने के लिए हम निम्नलिखित का उपयोग करेंगे:

- पहला, आपका प्रतिवादी जो भी अदालती खर्च अदा करेगा
- दूसरा, आपको हमें जो अंशदान देना होगा
- तीसरा, अगर ये दोनों पर्याप्त नहीं हैं तो अपने मुकदमे के फलस्वरूप आप जो धन या संपत्ति जीतेंगे या बचाएंगे उसके कुछ हिस्से या पूरे धन या संपत्ति यानी क्लैबैक से
- अगर उपर्युक्त तीनों ही पूरे नहीं पड़ते तो हमारे कोष से।

अगर आपका प्रतिवादी उन अदालती खर्चों का भुगतान नहीं करता जो उसे करने हैं तो हमें आपके सॉलिसिटर का बिल चुकाने के लिए उस अंशदान का जिसका भुगतान करने के लिए हमने आपसे कहा है और उस संपत्ति का जो आप जीतेंगे या बचायेंगे उसका उपयोग करना होगा। हम आपका अंशदान तब तक वापस नहीं करेंगे जब तक कि आपके प्रतिवादी से हमें पैसे नहीं मिल जाते, बशर्ते कि हमने आपके सॉलिसिटर को जो भुगतान किया है, आपका अंशदान उससे अधिक न हो।

कानूनी सहायता के लिए अगर आप कुछ भुगतान करना चाहते हैं, तो हमें करें।

इस पुस्तिका में हम इन सभी स्थितियों की चर्चा करेंगे। हम इस संबंध में भी बतायेंगे कि अगर आप मुकदमा हार जाते हैं, अदालत आपको अपने प्रतिवादी को हर्जाना अदा करने का आदेश देती है, तो क्या होगा?

2 प्रतिवादी द्वारा हर्जाने का भुगतान

2.1 सलाह और सहायता

अगर आपका प्रतिवादी आपका सारा अदालती खर्च या उसका कुछ हिस्सा चुकाने पर राजी हो जाता है या अदालत उसे ऐसा करने का आदेश देती है तो हम इस धन का उपयोग आपके सॉलिसिटर का बिल चुकाने के लिए करेंगे। इसका आशय यह नहीं कि आपके सॉलिसिटर सलाह और सहायता के लिए आपके किये अंशदान की रकम वापस कर देंगे।

2.1 कानूनी सहायता

अगर आप मुकदमा जीत जाते हैं, तो आपकी प्रतिद्वंद्वी आपका सारा अदालती खर्च या उसका कुछ भाग चुकाने पर राजी हो सकता है या अदालत उसे वैसा करने का आदेश दे सकती है। अगर वस्तुतः इन हर्जानों का भुगतान हमें किया जाता है तो हम कानूनी सहायता के लिए चुकायी गयी अंशदान की पूरी रकम या उसका कुछ भाग वापस कर सकते हैं। कभी-कभी किसी प्रतिवादी से हर्जाने की रकम मिलने में काफी वक्त लग जाता है और कुछ मामलों में हमें या आपके सॉलिसिटर को हर्जाने की रकम वसूल करने के लिए अदालती कार्रवाई करनी पड़ती है।

अगर आपका प्रतिवादी भी कानूनी सहायता ले रहा है तो अदालत उस पर लगाये गये हर्जाने की रकम कम कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो हमें आपके सॉलिसिटर का बिल चुकाने के लिए आपके अंशदान या कानूनी सहायता के फलस्वरूप जीती या बचायी संपत्ति का उपयोग करना होगा।

3 अंशदान

3.1 आपको अंशदान कब करना पड़ सकता है?

आप चाहे सलाह और सहायता के लिए आवेदन करें या मुकम्मिल कानूनी सहायता के लिए, आपकी आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए आपसे अंशदान करने को कहा जा सकता है। अगर आप सलाह और सहायता तथा कानूनी सहायता दोनों लेते हैं, तो आपको दोनों के लिए अंशदान करना पड़ सकता है।

सलाह और सहायता

सलाह और सहायता के लिए आपका सॉलिसिटर बता देगा कि आपको उसे अंशदान करना होगा या नहीं।

कानूनी सहायता

हम कानूनी सहायता की मंजूरी देते समय ही बता देंगे कि आपको अंशदान करना है तो कितना और यह भी कि हम उसका आकलन कैसे करते हैं।

हम आपके आवेदन पत्र में दी गयी जानकारी से यह अनुमान लगाते हैं कि आप गुजर-बसर के अनिवार्य खर्चों के बाद अपनी आय और पूंजी का कितना हिस्सा बचा पाते हैं और कितना भुगतान कर सकते हैं। यह स्काटिस संसद की तय की हुई सीमा पर आधारित होती है।

अगर आपको आय के आधार पर अंशदान करना है, तो हम आम तौर पर आपको किशतों में उसका भुगतान करने की अनुमति दे देंगे। हम बता देंगे कि कितने समय तक कितने की किशतें अदा करनी होंगी। यह इस पर निर्भर करेगा कि आपको कुल कितना भुगतान करना है। अगर आपको लगेगा कि उतनी अवधि में उतना भुगतान करने में आपको कठिनाई होगी, तो कभी-कभी हम भुगतान की अवधि भी बढ़ा सकते हैं। आपको स्पष्ट करना होगा कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। हमारे ट्रेज़री विभाग के कर्मचारियों को इस मुद्दे पर आपसे चर्चा करके खुशी होगी।

यदि आप किशतों का भुगतान करना भूल जाएंगे या भुगतान नहीं करेंगे, तो हम कानूनी सहायता देना बंद कर देंगे। इसका आशय यह कि आपके सॉलिसिटर को कानूनी सहायता के अंतर्गत आपकी पैरवी करना बंद कर देना होगा। आपके मुकदमे के खर्च की भरपाई के लिए आपको फिर भी अपना बकाया अंशदान या वह रकम जो हमने आपके सॉलिसिटर को अदा की है, दोनों में से जो भी कम हो, चुकानी पड़ेगी।

पूंजी (बचत और आपके स्वामित्व की चीजों के मूल्य) के आधार पर देय अंशदान एकमुश्त करना होता है।

यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने सॉलिसिटर से अपने मुकदमे की संभावित लागत का हिसाब लगाने को कहें। इससे आपके पैसे बचेंगे, क्योंकि तब हम शुरुआत में ही हम आपके अंशदान की रकम आपके सॉलिसिटर द्वारा बताई आपके मुकदमे की अनुमानित लागत के बराबर तय करेंगे। लेकिन यदि मुकदमे की समाप्ति पर आपके सॉलिसिटर द्वारा अनुमानित खर्च से अधिक खर्च होता है, तो हम निम्न के बीच के अंतर का पता लगाएंगे:

- अनुमानित खर्च और हमारी आरंभिक गणना से आपके द्वारा किए जा सकने वाले अंशदान के बीच
- मुकदमे के अनुमानित खर्च और वास्तविक खर्च के बीच।

इसके बाद आपको इन दोनों धनराशियों में से छोटी राशि का भुगतान करना होगा।

यदि मुकदमे का खर्च आपके द्वारा हमें किए गए भुगतान से कम हो, या यदि हमें आपके प्रतिवादी से कुछ खर्च वापस मिलते हैं तो आप अपने अंशदान का कुछ भाग वापस पा सकते हैं।

3.2 आपके अंशदान का उपयोग

सलाह और सहायता

सलाह और सहायता के लिए आपको अंशदान की रकम वापस नहीं की जायेगी, चाहे आपका प्रतिवादी मुकदमे के हर्जाने का भुगतान करे भी।

कानूनी सहायता

कानूनी सहायता के मामले में, अगर आपका प्रतिवादी मुकदमे का हर्जाना अदा करता है, तो हम उस रकम का इस्तेमाल आपके सॉलिसिटर का बिल चुकाने में करेंगे। बहरहाल, अगर हमें आपके प्रतिवादी के हर्जाने से पर्याप्त रकम नहीं मिलती, तो हम आपके अंशदान के कुछ हिस्से या आपके पूरे अंशदान का उपयोग करेंगे।

आपको अपना पूरा अंशदान तभी वापस मिलेगा जबकि :

- अदालत तय करती है कि आपका सारा अदालती खर्च आपका प्रतिवादी चुकायेगा
- आपका प्रतिवादी सचमुच हर्जाना अदा करता है, और
- उस रकम से आपके सॉलिसिटर का बिल अदा हो जाता है।

आप अपने अंशदान का आंशिक भुगतान पा सकते हैं, जबकि:

- हमने आपके सॉलिसिटर का जो भुगतान किया है, आपका अंशदान उससे ज्यादा है या
- हमें आपके प्रतिवादी से कुछ अदालती खर्च वापस मिल जाता है।

4 जीती हुई या बचायी हुई संपत्ति

4.1 संपत्ति 'जीतने' या उसके 'बचाने' का आशय क्या है?

अगर आप सलाह और सहायता लेकर या कानूनी सहायता लेकर ऐसी संपत्ति पा जाते हैं जो आपकी नहीं थी, आप उसे 'जीत' लेते हैं। अगर कोई संपत्ति आपकी है, जिसे कोई आपसे छीनने की कोशिश कर रहा था, तो आप उसे बचा लेते हैं। कभी-कभी आप संपत्ति 'पाने' या 'बनाये रखने' जैसे शब्द सुनते होंगे— उसका आशय 'जीतना' या 'बचाना' ही होता है।

अगर आप अपने मुकदमे के फलस्वरूप कोई धन या संपत्ति 'जीतते' या बचा लेते हैं, तो हमने आपके सॉलिसिटर को जो भुगतान किया है, उसकी भरपाई के लिए आपको वह सारा धन या सारी संपत्ति या उसका कुछ हिस्सा हमें देना पड़ सकता है। इसे कभी-कभी 'क्लाबैक' कहा जाता है। आपके सॉलिसिटर आपको बता सकते हैं कि यह स्थिति आप पर कब लागू हो सकती है और यह भी कि किस धन या किस संपत्ति पर यह लागू नहीं होती।

संपत्ति का आशय बहुत-सी चीजों से होता है, इसमें ऐसी कोई भी चीज आती है जिसे अपनाया जा सकता है, वह घर हो सकता है, या कोई भी मूल्यवान चीज या धन हो सकता है। कुछ उदाहरण हैं:

- मकान
- शेयर
- बीमा पालिसियां
- वह धन जो आपका दांपत्य संगी या साझीदार तलाक देते समय या कोई दीवानी सीझेदारी तोड़ते समय अदा करता है।
- क्रिमिनल इंजरीज कंपेंसेशन अथॉरिटी द्वारा किया गया भुगतान
- किसी दूसरे स्रोत से मिला मुआवजे का भुगतान

ये कुछ उदाहरण हैं, और कोई भी मूल्यवान चीज संपत्ति में आती है। सलाह और सहायता और कानूनी सहायता में कुछ अंतर होते हैं। आपके सॉलिसिटर आपको इसके बारे में विस्तार से बता सकते हैं।

4.2 क्लैबैक किस तरह के मामलों को प्रभावित करता है?

क्लैबैक सिर्फ धन या संपत्ति के मामलों में लागू होता है। जैसे, तलाक के मामलों में अदालत प्रायः यह तय करती है कि मकान, वृत्तिदान पालिसियों या पेंशन जैसी साझा संपत्तियों को कैसे बांटा जाय, जिनके मालिक आप

पति-पत्नी दोनों हैं। या आप अपने जीवनसाथी से एकमुश्त राशि प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो सकते हैं। दूसरे मामलों में जिनमें आप नुकसान या चोट का मुआवजा पाने की कोशिश करते हैं।

आपको अपने सॉलिसिटर से पूछना चाहिए कि:

- वह मामले की शुरुआत में ही बता दें कि क्या उसमें क्लॉबैक लागू होगा
- आपको उन बदलावों के बारे में बताते रहें जो आपके मामले को प्रभावित कर सकते हैं
- बताएं कि आपको कितना भुगतान करना होगा।

4.2 क्या क्लॉबैक नियम में कोई छूट भी है?

हां, ज्यादातर वैवाहिक या दीवानी साझेदारी के मामलों में आप पहली £5,009 की रकम अपने पास रख सकते हैं। इस आंकड़े की हर साल समीक्षा की जाती है।

4.4 क्या आपको क्लॉबैल नियम के अंतर्गत किसी तरह का विवेकाधिकार प्राप्त है?

सलाह और सहायता

सलाह और सहायता के मामले में हम इस बात पर गौर करते हैं कि कहीं जीती हुई या बचायी हुई संपत्ति से भुगतान करने पर आप गंभीर मुश्किल या संकट में तो नहीं पड़ जायेंगे।

यदि अपनी सलाह और सहायता के परिणामस्वरूप आप अपने पास बनी रही या जीती गई जायदाद से अपने सॉलिसिटर को भुगतान नहीं करते जिसकी वजह से हमें आपके सॉलिसिटर को भुगतान करना पड़ता है, तो हमारे पास इन भुगतानों को वसूलने के लिए आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है।

कानूनी सहायता

कानूनी सहायता के मामले में हम गंभीर मुश्किल या संकट पर विचार नहीं कर सकते।

4.5 क्या आप मेरी जीती हुई या मेरे पास बनी रही पूरी संपत्ति या धन ले लेंगे?

हम आपकी जीते हुए या आपके पास बने रहे धन या जायदाद से उतना ही लेंगे, जो आपके मुकदमे में हमारे द्वारा किए गए भुगतान और निम्न के बीच बचता है :

- आपके प्रतिवादी द्वारा किये हर्जाने के भुगतान और
- (कानूनी सहायता) के मद में आपने जो अंशदान किया है उसके बाद जो कमी पड़ती है।

अगर आपका प्रतिवादी अदालती खर्चों के भुगतान में विलंब करता है तो हम उस रकम की भरपाई के लिए आवश्यक धन रोक लेंगे। हम उसे ब्याज अर्जित करने वाले खाते में जमा कर देंगे और उसका ब्याज आपको देते रहेंगे।

4.6 अगर कोई मुकदमा लड़कर अपने मकान को जीतता या बचाता है तो क्या उसे बकाया रकम के भुगतान के लिए वह मकान बेचना होगा?

नहीं। हम आपको किशतों में भुगतान करने या आपके आगे चलकर मकान बेचने तक देर से भुगतान करने की अनुमति देंगे। बहरहाल, अगर आप अपना मकान बेचने तक रुककर भुगतान करते हैं तो आपको देय रकम पर ब्याज देना होगा और यह सुनिश्चित कराने के लिए कि अंततः हमें हमारी रकम मिलेगी, हम आपके मकान पर एक मानक जमानत लेंगे। आपके सॉलिसिटर बता सकते हैं कि मानक जमानत के तहत क्या आता है।

हमारी बकाया रकम के भुगतान के दूसरे रास्ते भी हैं जो आपके लिए ज्यादा सुविधाजनक होंगे – जैसे आप बैंक से कर्ज लेने की सोच सकते हैं। हम कभी भी आपको बता सकते हैं कि आप पर कुल कितनी रकम देय है, ताकि आप तय कर सकें कि आपके लिए सबसे उपयुक्त क्या है।

मसलन, क्लॉबैक के रूप में आपको कितना भुगतान करना पड़ सकता है, इसके लिए धारा 10 देखें।

5. अगर मेरा सॉलिसिटर व्यक्तिगत रूप से मेरी पैरवी करने का सुझाव दे तो?

अगर हम आपको सलाह और सहायता की मंजूरी देते हैं तो आपके सॉलिसिटर को अतिरिक्त कामों (मसलन विशेषज्ञ या ऐडवोकेट (अधिवक्ता) की सेवाएं लेने) के लिए हमारी सहमति लेनी होगी। अगर हम आपके सॉलिसिटर के अतिरिक्त काम करने, या अतिरिक्त धन खर्च करने पर सहमत नहीं होते तो ये सलाह और सहायता, या कानूनी सहायता के जारी रहते आपको आपके मुकदमे के लिए अलग से भुगतान करने को नहीं कह सकते।

अगर हम आपको कानूनी सहायता देने से इंकार कर देते हैं या किसी कारणवश आपको मिल रही कानूनी सहायता रुक जाती है तो आपका सॉलिसिटर अलग से आपके लिए काम करने का सुझाव दे सकता है। अगर ऐसा होता है तो हम आपको सुझावेंगे कि आप:

- वे आपको अच्छी तरह इसका कारण समझाएँ
- वे आपके साथ काम शुरू करें इससे पहले आप आश्वस्त हो लें कि आप उनके काम और उसकी शर्तों को अच्छी तरह समझते रहते हैं और उनसे सहमत हैं।

याद रखें कि अगर अपनी वित्तीय पात्रता के बारे में आपके कोई प्रश्न हों तो आप हमारी वित्तीय मूल्यांकन इकाई (मुख्यपृष्ठ के अंदर की तरफ देखें) से संपर्क कर सकते हैं।

6. आप मेरे सॉलिसिटर को कितना भुगतान करें, क्या इस विषय में मुझे भी कुछ कहने का हक है?

हम सॉलिसिटर्स को जितना भुगतान करते हैं आम तौर पर वह कानूनन तय रहता है, और हम उनका बिल चेक करते हैं कि उनकी कीमत काम के लिहाज से वाजिब है भी या नहीं।

सलाह और सहायता

अगर सॉलिसिटर को लगता है कि उनके काम पर फंडिंग की हमारी तय सीमा से ज्यादा खर्च आने वाला है तो उन्हें सलाह और सहायता के लिए हमसे अतिरिक्त काम करने की स्वीकृति लेनी होती है। हम तय करते हैं कि 'सलाह और सहायता' के तहत कोई अतिरिक्त काम तर्कसंगत है भी या नहीं। आप अपने सॉलिसिटर से कभी भी पूछ सकते हैं कि हमने उनके सलाह और सहायता पर कितना खर्च करने की सहमति दी है। और अगर वे तय रकम से ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो आपसे उसका भुगतान करने को नहीं कह सकते।

कानूनी सहायता

कानूनी सहायता के लिए कोई नियत सीमाएं नहीं हैं। लेकिन कानूनी सहायता दी जानी है या नहीं, इसका निर्णय करने में हम मुकदमे के संभावित खर्चों पर ध्यान देते हैं। साथ ही, आपके सॉलिसिटर को हमें किन्हीं महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में बताना होता है ताकि हम यह निर्णय कर सकें कि क्या आपको कानूनी सहायता देना जारी रखना अभी भी तर्कसंगत है या नहीं।

फिर भी, जब आपका सॉलिसिटर हमारे पास अपने बिल भेजते हैं तो उन्हें स्पष्ट करना होता है कि उन्होंने जो अतिरिक्त काम किया वह आवश्यक और तर्कसंगत था।

सलाह और सहायता और कानूनी सहायता

मुकदमे को कैसे चलाना है यह तय करना आपका और आपके सॉलिसिटर का काम है। याद रखिए कि आप जितनी बार कोई सवाल लेकर अपने सॉलिसिटर के पास जाते हैं और जितनी बार वे आपके लिए कुछ करते हैं (मसलन, पत्र लिखना, बैठकें करना, टेलीफोन करना) आपके मुकदमे की लागत उतनी ही बढ़ती जाती है।

चूंकि इन खर्चों का भुगतान आपको करना है, इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने सॉलिसिटर से पूछ लें कि आपके मुकदमे पर अनुमानतः कितना खर्च आने वाला है और यह भी कि क्या मुकदमे के आगे बढ़ने पर खर्च में बदलाव आयेगा। निजी तौर पर भुगतान करने वाला कोई भी मुवक्किल यही करता है और हम आपको भी यही करने की सलाह देते हैं।

अपने सॉलिसिटर से मुकदमे की अनुमानित लागत पूछ कर और उनसे उसके बारे में हमें बताने को कहकर आप अपने पैसे बचा सकते हैं: यदि आपको अपनी कानूनी सहायता के लिए अंशदान करना है, तो आरंभ में हम इसे आपके सॉलिसिटर द्वारा आपके मुकदमे में होने वाले अनुमानित खर्च तक सीमित कर सकते हैं। लेकिन अगर मुकदमे पर अनुमानित लागत से ज्यादा खर्च आता है तो हम निम्न के बीच का अंतर निकालेंगे :

- अनुमानित खर्च और हमारी आरंभिक गणना से आपके द्वारा किए जा सकने वाले अंशदान के बीच
 - अनुमानित लागत और मुकदमे पर आये वास्तविक खर्च के बीच।
- उसके बाद आपको उनमें से जो रकम कम होगी, उसका भुगतान करना होगा।

आपने हमें जो भुगतान किया है, अगर आपके मुकदमे पर उससे कम खर्च आता है या अगर हमें आपके प्रतिवादी से कुछ हर्जाना मिल जाता है तो आपको अपने अंशदान की रकम से कुछ वापस भी मिल सकता है।

7. प्रतिवादी के अदालती खर्च का भुगतान

कभी-कभी कोई अदालत आपको अपने प्रतिवादी के अदालती खर्चों का भुगतान करने का आदेश दे सकती है या आप उसके लिए सहमत हो सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में इस तरह का हर्जाना आपको अदा करना है – हम आपकी तरफ से उसका भुगतान नहीं कर सकते। आप अदालत से देय रकम कम करने का अनुरोध कर सकते हैं। अदालत निम्न के मद्देनजर तय करती है कि आपके लिए कितने का भुगतान करना मुनासिब होगा:

- मुकदमे की स्थितियों
- आपकी और आपके प्रतिवादी की वित्तीय स्थिति
- आप दोनों ने जिस तरह अपने मुकदमे की पैरवी की है।

अदालत जो तय करती है, आपको उसका भुगतान करना ही होगा; यह रकम बेहद कम भी हो सकती है। आप अपने सॉलिसिटर से इसके बारे में और जानकारियां ले सकते हैं।

कानून आपको अपने प्रतिवादी के बिल के बारे में सवाल करने का अधिकार प्रदान करता है। वे जितना खर्च मांग रहे हैं अगर आप उससे असंतुष्ट हैं तो शेरिफ की अदालत के लेखा परीक्षक से यह तय करने की मांग कर सकते हैं कि आपको कितना भुगतान करना चाहिए। अदालत का लेखा परीक्षक स्वायत्त व्यक्ति होता है जो सॉलिसिटर के बिल की जांच करता है।

8. मैं आपको जो जानकारी प्रदान करूंगा उसका उपयोग आप कैसे करेंगे?

कानूनी सहायता के लिए आवेदन करने के द्वारा, आप हमें बोर्ड के अंदर और, जहां आवश्यक हो, बोर्ड के बाहर के लोगों के साथ जानकारी पर चर्चा करने की अनुमति प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, हम आपके नियोक्ता से आपकी आय की, या जिन लाभों को पाने का आप दावा कर रहे हैं उनकी कार्य तथा पेंशन विभाग से जांच कर सकते हैं।

स्कॉटलैंड की लॉ सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर भी आपके आवेदन में दी गई जानकारी को, सोसाइटी द्वारा की जाने वाली बेतरतीबवार गुणवत्ता-आश्वासन जांचों के एक भाग के रूप में, देख सकते हैं।

कानून के अनुसार, हमें इस संबंध में बहुत सावधान रहना होता है कि हम लोगों द्वारा हमें दी जाने वाली जानकारी का प्रयोग कैसे करते हैं। कानूनी सहायता हेतु किसी आवेदन की जानकारी हम सामान्यतः सिर्फ तभी जारी करते हैं जबकि जिस व्यक्ति ने इसे हमें प्रदान किया है उसकी अनुमति हो, या यदि कानून हमें ऐसा करने को कहता हो। परन्तु, यदि आप किसी व्यक्ति जैसे अपने MSP को हमसे अपने मुकदमे के बारे में संपर्क करने को कहते हैं, तो हम यह मानेंगे कि, ऐसा करके, आपने हमें उनसे इसकी चर्चा करने की अनुमति दी है। साथ ही *आंकड़ा सुरक्षा और सूचना की आजादी संबंधी अधिनियम [Data Protection and Freedom of Information Acts]* के तहत कुछ खास जानकारियों को गोपनीय बनाए रखना, और अन्य जानकारियों की पूर्ति करना भी हमारा कर्तव्य है। उदाहरण के लिए, हम आपको किसी अन्य व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत जानकारी प्रदान नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपके पास हमसे आपके बारे में हमारे पास मौजूद जानकारी, और कुछ अन्य जानकारियों जिन्हें हम कानूनी सहायता के बारे में रिकॉर्ड के रूप में रखते हैं तथा आपका हमारे काम करने के ढंग के बारे में पूछने का अधिकार है। *आंकड़ा सुरक्षा और सूचना की आजादी संबंधी अधिनियम [Data Protection and Freedom of Information Acts]* के प्रावधानों के तहत कुछ विशेष सूचनाओं को गोपनीय रखना और कुछ अन्य सूचनाएं मुहैया कराना हमारा फर्ज बनता है। मसलन हम आपको दूसरों की बाबत व्यक्तिगत सूचनाएं नहीं दे सकते।

आपके द्वारा हमें फोन किए जाने पर, कभी-कभी हम आपकी पहचान जांचने के लिए भी जानकारी का प्रयोग करते हैं। हम कुछ खास विवरणों को भी इकट्ठा करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारे कार्य करने के तरीके गैरकानूनी ढंग से पक्षपात न करते हों और सभी के लिए समान अवसर तथा पहुंच प्रदान करते हों।

यदि आप इस संबंध में अधिक जानना चाहते हैं कि हमें दी गई जानकारी का प्रयोग हम कैसे करते हैं, तो कृपया हमारी पुस्तिका *जानकारी तक पहुंच [Access to information]* पढ़ें, जो विस्तार से बताती है कि:

- आप कैसे यह पता लगा सकते हैं कि हमारे पास आपके बारे में क्या जानकारी है
- आपके बारे में हमारे पास मौजूद किसी भी जानकारी के साथ हम कैसा व्यवहार करेंगे
- हमारे द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्डों और आधिकारिक जानकारी को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं।

9. यदि मैं आपके या अपने सॉलिसिटर के काम करने के ढंग से नाखुश होऊं तो क्या होगा?

हमारा एक अलग पुस्तिका, *स्कॉटिश कानूनी सहायता परिषद के बारे में शिकायतें एवं टिप्पणियां [Complaints and comments about the Scottish Legal Aid Board]* हमारी शिकायती प्रक्रियाओं के बारे में बताती है। आप इसे हमसे प्राप्त कर सकते हैं (संपर्क विवरणों के लिए कृपया इस पुस्तिका के भीतरी आवरण पर देखें) या हमारी वेबसाइट www.slab.org.uk पर देख सकते हैं।

अपने सॉलिसिटर के बारे में शिकायत करने के लिए, आपको पहले उनसे बात करनी चाहिए। यदि तब भी आप संतुष्ट न हों, तो आपको फर्म के उस व्यक्ति से बात करनी चाहिए जो शिकायतों को देखता है; वे समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। यदि फिर भी आप स्थिति को लेकर नाखुश हों, तो आपको स्कॉटलैंड की लॉ सोसाइटी (संपर्क विवरणों के लिए इस पुस्तिका के आमुख कवर के अंदर की ओर देखें) से संपर्क कर सकते हैं।

अपने सॉलिसिटर के बारे में शिकायत करने के लिए, फैंकल्टी ऑफ एडवोकेट्स, एडवोकेट्स लायब्रेरी, पार्लियामेंट हाउस, [Faculty of Advocates, Advocates Library, Parliament House], Edinburgh EH1 1RF, टेलीफोन 0131 226 5071 पर संपर्क करें।

आपके मुकदमे का निपटारा करने वाली न्यायालय के बारे में शिकायत करने के लिए, स्कॉटिश कोर्ट सर्विस, [Scottish Court Service, Hayweight House], 23 Lauriston Street, Edinburgh ED3 9DQ, टेलीफोन 0131 229 9200 पर संपर्क करें।

10. उदाहरण

यहां सलाह और सहायता (10.1) और कानूनी सहायता (10.2) से संबंधित कुछ उदाहरण दिए गए हैं। उनमें नुकसान की भरपाई और तलाक के मामले में संपत्ति हासिल करने का मामला शामिल है।

10.1 सलाह और सहायता के उदाहरण

उदाहरण 1— किसी दुर्घटना के बाद मुआवजा

आपका सॉलिसिटर किसी दुर्घटना के बाद किसी स्थानीय परिषद से मुआवजों का दावा करने के मामले में सलाह और सहायता प्रदान करता है। फलस्वरूप काउंसिल आपको दुर्घटना में आयी चोटों की क्षतिपूर्ति के लिए £5,000 का मुआवजा देने पर राजी हो जाती है। ये £5,000 पाउंड आपकी जीती हुई संपत्ति हैं।

इस उदाहरण में:

- आप अपने सॉलिसिटर को पहले ही £50 का अंशदान कर चुके हैं
- काउंसिल £750 मुकदमे के अदालती खर्च के हर्जाने के रूप में अदा करने पर सहमत हो जाती है और उसका भुगतान कर देती है
- आपके सॉलिसिटर का बिल था £900।

आपके अंशदान और काउंसिल के हर्जाना चुकाने के बाद भी इस तरह आपके सॉलिसिटर के बिल के £100 की अदायगी बाकी रह जाती है। आपने जो संपत्ति जीती है, उसमें से आपको £100 का भुगतान करना होता है, बशर्ते कि आप यह साबित नहीं कर पाते कि इस रकम का भुगतान करने से आप काफी परेशानी और संकट में पड़ेंगे।

जायेंगे। इस तरह आपको £4,900 उस रकम से मिल जायेंगे, जिसका भुगतान काउंसिल ने आपको मुआवजों के रूप में किया था।

उदाहरण 2— विवाहविच्छेद

आप और आपकी पत्नी या पति विवाह बंधन तोड़ने पर सहमत हो जाते हैं। आपके विवाह विच्छेद की व्यवस्था अदालत में गये बिना की जाती है। आपके सॉलिसिटर सलाह और सहायता की माफ़त आपको कानूनी सहायता देते हैं।

आपके पति या आपकी पत्नी आपको एकमुश्त £10,000 पौंड का भुगतान करने पर राजी हो जाता/जाती है।

आपको मिलने वाली £5,009 तक की रकम पर छूट है – यानी आपको कितना भुगतान करना चाहिए इसका फैसला करते समय हम उसे नजरअंदाज कर जाते हैं। लेकिन चूंकि आपको £10,000 मिले हैं इसलिए आपसे £4,991 का भुगतान करने को कहा जा सकता है।

आपके सॉलिसिटर का बिल £1,000 है। आपने मुकदमे के खर्च में कोई योगदान नहीं किया है और आपकी पत्नी या आपका पति कानूनी सलाह की कीमत नहीं अदा कर रहा है। इसलिए आपको £1,000 का भुगतान करना है बशर्ते कि आप यह साबित नहीं कर पाते/पाती कि उसके भुगतान से आप गंभीर परेशानी या संकट में पड़ जायेंगे/जायेंगी।

10.2 उदाहरण—1 क्षतिपूर्ति के मामले में संपत्ति जीतना

अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो गयी थी, जिसमें आप घायल हो गये थे तो आप उस व्यक्ति से जिसे उस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार मानते हैं, मुआवजे का दावा कर सकते हैं। मसलन् वह आपका नियोक्ता, स्थानीय काउंसिल, या सड़क दुर्घटना में कोई ड्राइवर हो सकता है। आप अपने प्रतिवादी से मिली किसी भी रकम को चाहे वह अदालती आदेश से मिली हो या अदालत के बाहर हुए समझौते से, जीती हुई संपत्ति मानकर चलेंगे।

मसलन्, आपने £15,000 का मुआवजा मांगा था और अदालत के बाहर £10,000 पर समझौता हुआ तो आपने £10,000 की संपत्ति जीती।

उदाहरण—2 तलाक के मामले में संपत्ति जीतना

अगर आपके लिए अपने दांपत्य संगी से तलाक लेना अनिवार्य हो गया है और आपका घर आपके और आपकी पत्नी या पति दोनों के नाम पर है तो आप अदालत से घर को अकेले अपने नाम करने का अनुरोध कर सकते हैं, अगर अदालत आपका अनुरोध मान लेती है और आपकी पत्नी या आपके पति का हिस्सा आपके नाम पर स्थांतरित कर देती है तो आप संपत्ति जीत जायेंगे/जायेंगी।

हम आपकी जीती हुई संपत्ति का आंकलन इस प्रकार करेंगे:

- घर की कीमत: £60,000
- बंधक का बकाया : £40,000
- घर की शुद्ध कीमत: (घर की कीमत – बकाया बंधक कर्ज) : £20,000
- जीती हुई संपत्ति की कीमत (शुद्ध कीमत/2) : £10,000

इसका आशय यह कि आपने अपने दांपत्य संगी का आधा हिस्सा पाकर £10,000 की संपत्ति जीती। पर आप पहले £5,009 के हकदार हैं, इसलिए आपके द्वारा जीती गई संपत्ति का मूल्य घटकर £4,991 रह जाता है।

उदाहरण—3 तलाक के मामले में संपत्ति बचाना

अगर आप अपने दांपत्य संगी से तलाक ले रहे हैं तो आपका दांपत्य संगी (पति या पत्नी) अदालत से मांग कर सकता है कि मकान का आपका हिस्सा उसके नाम कर दे। अगर आप उसके दावे का विरोध करने में अदालत में कामयाब रहते हैं और संपत्ति आपके नाम पर आ जाती है तो क्लबैक की रकम £20,000 होगी। इस मामले में भी

आपको पहले £5,009 की रकम पर क्लबैक से छूट मिल जायेगी जिससे सुरक्षित रकम घट कर £14,991 रह जायेगी।

इसका आशय यह कि मैंने जो संपत्ति जीती है या बचायी है वह पूरी संपत्ति मुझे आपको दे देनी होगी?

जरूरी नहीं कि क्योंकि इन उदाहरणों में दिखाये गये आंकड़े आप द्वारा अदा की जाने वाली अधिकतम रकम के आंकड़े हैं। इन उदाहरणों में मान कर चला गया है कि आपने कोई अंशदान नहीं किया है और यह भी कि आपका प्रतिवादी किसी तरह के हर्जाने का भुगतान नहीं करता। वस्तुतः आपको जो रकम चुकानी होगी वह:

- हमने आपके सॉलिसिटर को जो भुगतान किया है, उससे
- आपने जो संपत्ति जीती या बचायी है उससे कम होगी।

मसलन् अगर आपने £10,000 की रकम जीती या बचायी है और हमने आपके सॉलिसिटर को £3,000 का भुगतान किया है तो आपके पास £7,000 बचे रहेंगे। लेकिन अगर आपकी जीती या बचायी संपत्ति की कीमत £5,000 है और हमने आपके सॉलिसिटर को £6,000 का भुगतान किया है तो आपको पूरे £5,000 का भुगतान करना होगा और आपके पास छूट की रकम (£5,009) के सिवा, अगर लागू होती है, कुछ भी नहीं बचेगा।

अगर आपकी जीती हुई संपत्ति नकद संपत्ति या धन नहीं है (मसलन् वह आपका घर जिसमें आप रहते हैं, हो सकता है) तो आपको हमें तत्काल यह सारी रकम नहीं देनी होगी।

निम्नलिखित उदाहरण क्लबैक में रिआयत के उदाहरण हैं। इन उदाहरणों में भी यह मान कर चला गया है कि आपका प्रतिवादी आपके अदालती खर्च का भुगतान नहीं करता और न आपने कोई अंशदान ही किया है।

उदारहरण-4

तलाक के मामले में आपने जो संपत्ति जीती या बचायी उसकी कीमत= £10,000

- क्लबैक मुक्त संपत्ति: £5,009
- कुल जीती हुई या बचायी हुई संपत्ति : £4,991

अगर हमने आपके सॉलिसिटर का £5,000 का बिल चुकाया है तो हम उसे आपकी जीती या बचायी संपत्ति से काट लेंगे। इससे आपके पास केवल मुक्त £5,009 की रकम बची रहेगी।

उदाहरण- 5

तलाक के मामले में घर में अपने दांपत्य संगी (पति/पत्नी) का जीता हुआ या बचाया हुआ हिस्सा : 5,000 पौंड

क्लबैक मुक्त संपत्ति : £5,009

जीती हुई या बचायी हुई कुल संपत्ति : £0.00

अगर हमने आपके सॉलिसिटर का £5,000 का बिल चुकाया है तो हम आपकी जीती या बचायी संपत्ति से कोई नहीं घटाएंगे। आपको पूरी £5,000 की रकम मिलेगी।

अगर आपकी जीती या बची हुई संपत्ति नकदी नहीं है (वह आपका घर हो सकता है जिसमें आप रहते हैं) तो आपको यह सारी रकम तत्काल नहीं चुकानी होगी। हम आपके द्वारा देय रकम को किशतों में चुकाए जाने की व्यवस्था कर सकते हैं या आपकी संपत्ति पर मानक जमानत रख सकते हैं (देखें खंड 4.6)।

(पिछला पन्ना)

(विदेशी भाषाओं के पैनलों के लिए स्थान)

इस पुस्तिका को कुछ अन्य भाषाओं, ब्रेल लिपि या बड़े अक्षरों, या ऑडियो टेप पर प्राप्त करने के लिए, कृपया भीतरी आवरण के अंदर दर्शाए गए संपर्क विवरणों पर हमें संपर्क करें।

CIV-WHAT -04/08

Plain language logo.